(244)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

25/-

राममनोहर तनय सुदर्शन प्रसाद ब्रा0 निवासी ग्राम पुरैना तहसील रायपुर कर्चुलिया जिला रीवा (म0प्र0) ---------आवेदक

R 5375-II/16

**बनाम्**

प्रहलाद प्रसाद तनय त्रिवेणी प्रसाद निवासी ग्राम पुरैना तहसील रायपुर कर्चुलिया जिला रीवा (म0प्र0) --------अनावेदक

अधिवक्ता श्री अमिताभ चतुर्वेदी द्वारा प्रस्तुत 24.8.16

निगरानी आवेदन पत्र बिरुद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक वृत्त तहसील रायपुर कर्चु, जिला रीवा (म0प्र0) बाबत् प्रकरण क्रमांक-260/अ/12/15-16

---

आदेश पुल्ली दिनांक 29/7/2016

---

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता।

---

मान्यवर,

अन्य के अतिरिक्त निगरानी के आधार निम्न है :-

1. यह कि अधीनस्थ राजस्व अधिकारी का आदेश एवं सीमांकन की कार्यवाही विधि एवं प्रकिया के विपरीत है।
2. यह कि आवेदक की ग्राम कोष्टा में आराजी खसरा क्रमांक - 468 रकवा 0.829 एवं 469 रकवा 0.93 भूमि स्वामित्व व कब्जे की भूमि ग्राम कोष्टा की है, जो ग्राम कोष्टा की उक्त भूमि कथित

राममनोहर तिवारी

(244)

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R–5376-II / 16 जिला–.रीवा

राममनोहर ब्रा0 / प्रहलाद प्रसाद

| (1) | (2) |
| --- | --- |
| 19-12-18 | 1. आवेदक की श्री अभिताब चतुर्वेदी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त तहसील रायपुर कर्चु0 तहसील रायपुर कर्चु0, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 260 / अ–12 / 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 29.07.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 15.03.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।<br><br>सदस्य |

भूमि ग्राम कोष्टा की है, जो ग्राम काष्टा का उक्त भूमि कायत

राममन हर तिवारी